**समाचार**



**भवन, भूखण्ड फ्री होल्ड करने की कार्यवाही समयसीमा में सुनिश्चित करें-आयुक्त**

**(आयुक्त श्री रणबीर शर्मा ने संबंधित अधिकारियों की बैठक लेकर फ्री होल्ड की त्वरित कार्यवाही प्रारंभ करने के दिए निर्देश)**

कोरबा 05 जनवरी 2019 -आयुक्त श्री रणबीर शर्मा ने आज निगम के अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा है कि छत्तीसगढ़ शासन के निर्देशों के अनुसार निगम क्षेत्र में लीज होल्ड पर आबंटित आवासीय भवन, भूखण्ड आदि को फ्री होल्ड किए जाने से संबंधित आवश्यक कार्यवाही त्वरित रूप से प्रारंभ कर समयसीमा में फी होल्ड किए जाने की कार्यवाही पूर्ण करें ताकि राज्य शासन की मंशा के अनुसार संबंधित हितग्राहियों , आबंटितियों को इसका लाभ प्राप्त हो सके।

यहां उल्लेखनीय है कि कोरबा के तत्कालीन विधायक एवं वर्तमान में छत्तीसगढ़ शासन के राजस्व मंत्री श्री जयसिंह अग्रवाल की विशेष पहल पर महापौर श्रीमती रेणु अग्रवाल द्वारा पूर्ववर्ती विशेष क्षेत्र विकास         प्राधिकरण व वर्तमान में नगर पालिक निगम कोरबा द्वारा 30  वर्षीय लीज होल्ड पर आबंटित भवन, भूखण्ड को फ्री होल्ड किए जाने हेतु निगम की मेयर इन काउंसिल के प्रस्ताव क्र. 714 दिनांक 21.03.2018 तथा निगम परिषद के प्रस्ताव क्र. 95 दिनांक 31.03.2018 के द्वारा प्रस्ताव पारित कर शासन को भेजा गया था। छत्तीसगढ़ शासन नगरीय प्रशासन विकास विभाग द्वारा आदेश जारी कर प्रदेश के नगरीय निकायों एवं पूर्व विघटित विशेष क्षेत्र प्राधिकरण द्वारा स्वयं के आधिपत्य के 30 वर्षीय लीज होल्ड पर आबंटित व्यवस्थापित आवासीय भूखण्ड भवन को संबंधित नगरीय निकाय को राजस्व विभाग से विधिवत भूस्वामित्व प्राप्त कर फ्री होल्ड के रूप में संपरिवर्तित करने की स्वीकृति प्रदान की गई है। आज नगर पालिक निगम कोरबा के मुख्य प्रशासनिक भवन साकेत स्थित अपने कक्ष में आयुक्त श्री रणबीर शर्मा ने निगम के संपदा विभाग एवं अन्य संबंधित अधिकारियों की बैठक लेकर निगम क्षेत्र में स्थित लीज होल्ड पर आबंटित आवासीय भवन, भूखण्डों के फ्री होल्ड की कार्यवाही त्वरित रूप से प्रारंभ करने एवं इस संबध में प्राप्त आवेदन पत्रों पर निर्धारित समयसीमा के भीतर समुचित कार्यवाही पूर्ण करने के निर्देश अधिकारियों को दिए हंै।

**फ्री होल्ड हेतु करना होगा आवेदन-**पट्टे पर आबंटित भूमि एवं भूखण्डों का संपरिवर्तन प्रभार लेते हुए उसे फ्री होल्ड में परिवर्तन किया जाएगा, यह संपरिवर्तन पट्टेधारी के लिए एैच्छिक होगा तथा उसे निर्धारित प्रारूप में फ्री होल्ड हेतु आवेदन प्रस्तुत करना होगा। संपरिवर्तन प्रदान करने की तिथि को आवासीय प्रयोजन के प्रचलित बाजार मूल्य (कलेक्टर गाईड लाईन) का एक दशमलव एक शून्य प्रतिशत के बराबर राशि संपरिवर्तन प्रभार के रूप में एवं आगामी दस वर्षो की कालावधि तक प्रचलित दर पर भू भाटक की गणना कर जमा  कराई जाएगी।

**600 वर्गफुट या कम पर संपरिवर्तन शुल्क नहीं-**यहां विशेष रूप से उल्लेखनीय है कि हितग्राही को आवासीय भवन आबंटित होने पर 600 वर्गफुट या उससे कम माप वाले आवासीय भूखण्डों भवनों की स्थिति में संपरिवर्तन प्रभार नहीं लगेगा किन्तु एक से अधिक तल निर्मित होने पर समस्त तलों के निर्मित क्षेत्रफल का योग कर कुल निर्मित क्षेत्रफल की गणना की जाएगी, कुल निर्मित क्षेत्रफल 600 वर्गफुट से अधिक होने पर नियमानुसार संपरिवर्तन शुल्क देय होगा।

**आवेदन का 60 दिवस के भीतर होगा अंतिम रूप से निराकरण -** संपरिवर्तन हेतु आवेदन प्राप्त होने पर आवेदन की तारीख से उद्घोषणा जारी होने के 15 दिन के भीतर ऐसी भूमि के संबंध में दावे एवं आपत्तियां आमंत्रित करने हेतु उद्घोषणा जारी की जाएगी, जिसकी अवधि 30 दिवस की होगी। प्राप्त दावा आपत्तियों का परीक्षण किया जाएगा तथा शासन के निर्देशानुसार संपरिवर्तन हेतु प्राप्त आवेदन पत्र का 60 दिवस की कालावधि के भीतर अंतिम रूप से निराकरण किया जाएगा।